Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

Rajya Sabha
Unstarred Question No. 867
To be answered on Tuesday, 27th July, 2021
Sravan 5, 1943 (Saka)

Restoration of benefits of DA/DR

867:: Shri Naranbhai J. Rathwa:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government is actively considering to raise monthly gross basic pay of Government employees after restoration of full benefits of Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief(DR) in accordance with fitment factor as per the recommendations of 7th Pay Commission;

(b) if so, details of such increase post DA/DR restoration and whether pensioners will also be benefited due to this fitment factor; and

(c) the details in terms of percentage of pending DA/DR restoration since January, 2020 and the quantum of installment of DA/DR of July, 2021 and when it is likely to be released to Government employees/pensioners?

Answer

Minister of State in the Ministry of Finance
(Shri Pankaj Chaudhary)

(a) No Sir, The fitment factor of 2.57 was uniformly applied to all categories of employees only for the purpose of fixation of pay in the revised pay structure based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission;

(b) Does not arise;

(c) The Government has released the installments of DA/DR from 01.07.2021 which were due from 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021 in respect of Central Government employees/pensioners. The Central Government employees/Pensioners will get DA/DR @ 28% (11% over the existing rate of 17%) from July, 2021.

*****

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 867

मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 / 05 श्रावण, 1943 (शक)

डीए/डीआर के लाभों को बहाल किया जाना

867. श्री नारण भाई जे. राठवा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर के अनुरूप महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के पूर्ण लाभों की बहाली के बाद सरकारी कर्मचारियों के मासिक सकल मूल वेतन को बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो डीए/डीआर की बहाली के बाद हुई इस प्रकार की वृद्धि का ब्यौरा क्या है और क्या इस फिटमेंट फैक्टर के कारण पेंशनभोगी भी लाभान्वित होंगे; और

(ग) जनवरी, 2021 से अब तक बहाल किए गए लंबित डीए/डीआर का प्रतिशत में ब्यौरा क्या है और जुलाई, 2021 के डीए/डीआर की किस्तों की मात्रा का ब्यौरा क्या है और यह सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को संभवत: कब तक जारी किया जाएगा?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जी नहीं। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना में केवल वेतन के निर्धारण के लिए सभी वर्गों के कर्मचारियों पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर समान रूप से लागू किया गया था।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के संबंध में 01.07.2021 से महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की किस्तें जारी कर दी हैं जो दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 तथा 01.01.2021 से देय थीं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को जुलाई, 2021 से 28% की दर (17% की मौजूदा दर के ऊपर 11%) पर महंगाई भत्ता/महंगाई राहत मिलेगी।

******

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in